सह शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जाते है। जिनसे छात्रों का सर्वांगण विकास हो सके और वे राष्ट्र और समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

1 खेलकूद–

महाविद्यालय मे निम्न खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है– बैडमिन्टन, फुटबाल, कबड्डी, वालीबाल, हॉकी, खो–खो एवं एथलेटिक्स। इस महाविद्यालय के छात्र प्रत्येक वर्ष अन्तर्विश्वविद्यालयी, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

2 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)–

युवाओं में समाज सेवा और राष्ट्र भक्ति की भावनाएँ जाग्रत करने हेतु महाविद्यालयों में राष्ट्र सेवा योजना की गतिविधियाँ संचालित की जाती है। एन.एस.एस. ने अपने 45 वर्ष की यात्रा में शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का कार्य किया है। तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के साथ–साथ समाज सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनाना है।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरुकता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/ प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रंग में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्र–छात्राएँ महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे मे जागरुक होकर समाज में कर्मठ नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में छात्रों को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत दो वर्ष में 240 घण्टे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न विषयों पर अभिविन्यास वाद–विवाद, आशुभाषण, प्रश्न मंच, जागरुकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय या बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा प्रतिवर्ष तीन एक दिवसीय शिविर एवं एक सात दिवसीय विशेष शिविर (दो साल में एक बार)में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि को कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है।

महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की तीन इकाइयाँ स्वीकृत है, जिसमें से दो छात्रों के लिए और एक छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक इकाई में 100 छात्र/छात्रा पंजीकृत किये जाते हैं। प्रत्येक इकाई द्वारा पृथक–पृथक गाँव / बस्ती गोद ली जाती है। एन.एस.एस. गतिविधियों मे भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है, परन्तु प्रत्येक इच्छुक छात्र/छात्रा को एक आवेदन पत्र भरना आवश्यक है, जो महाविद्यालय के एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

एन.एस.एस. अधिकारी –1 श्रीमती पुष्पा मीना– प्रथम इकाई 2. डॉ. पूरण प्रकाश –द्वितीय इकाई
3 श्री अजय जाखड – तृतीय इकाई

4 एन.सी.सी (कैप्टन डॉ. विनोद कुमार बैरवा)

विश्व की दूसरी रक्षा पंक्ति एन.सी.सी. की शुरुआत 20वीं सदी में हुई । भारत में 1947 में गठित कुंजरू समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने 1948 में राष्ट्रीय कैडिट कोर का विधिवत गठन किया।

इस महाविद्यालय में एन.सी.सी. की शुरुआत सत्र 2006–07 में हुई । इसके माध्यम से विद्यार्थियों में चारित्रिक विकास की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और वे प्रेरित होकर देश सेवा के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे साहसी, दृढ़, गंभीर और अनुशासित हो जाते हैं।

एन.सी.सी. में प्रवेश के इच्छुक छात्र एन.सी.सी. अधिकारी से मिलकर प्रवेश सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के लिए निश्चित प्रक्रिया के तहत फिजिकल परीक्षा ली जाती है और सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कैडिट चयनित किया जाता है। एन.सी.सी. में प्रवेश के लिए उम्र 15 से 26 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें प्रवेश के लिए प्रथम वर्ष के छात्र ही पात्र होते हैं।

एन.सी.सी. अधिकारी –प्रथम राज बटालियन – कैप्टन डॉ. विनोद कुमार बैरवा (**ANO**)

5 स्काउट–

राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के अधीन स्काउट रोवर क्रू इस महाविद्यालय में सत्र 2004 से सतत् क्रियाशील है। महाविद्यालय के छात्रों में सुनागरिकता के गुण विकसित करने के उद्देश्य से गठित इस मिलन को विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन माना जाता है।

देश सेवा की भावना से ओतप्रोत संगठन के सदस्य, साहसिक गतिधियों , प्राथमिक उपचार आपदा प्रबन्धन, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण, नागरिक सुरक्षा इत्यादि कार्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त कर आवश्यकता पड़ने पर उचित सहयोग प्रदान करते हैं। विगत 5 वर्षो में महाविद्यालय रोवर स्काउट क्रू के रोवर विभिन्न राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय आदि प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में भाग लेकर महाविद्यालय को सम्मान दिला चुके हैं। सत्र 2011–12 से छात्राओं का स्काउट एवं गाईड रेंजर क्रू आरम्भ किया गया है।

रोवर लीडर अधिकारी – डॉ. रामेश्वर प्रसाद मीना
रेंजर लीडर अधिकारी – डॉ. संगीता नागरवाल

नोट–एन.एस.एस., एन.सी.सी. एवं स्काउट में से कोई एक गतिविधि में ही छात्र/छात्रा प्रवेश ले सकते हैं।

6 ईको क्लब

पर्यावरण के संरक्षण हेतु इस महाविद्यालय द्वारा ईको क्लब का संचालन किया जा रहा है।

7 छात्रसंघ–

छात्रों द्वारा अपने मध्य से छात्र प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इस रीति से छात्र की नेतृत्व प्रतिभा को सकारात्मक दिशा देने के साथ–साथ राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह कार्यकारिणी महाविद्यालय में समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह करती हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अन्य गतिविधियाँ

1 योजना मंच–

अर्थशास्त्र विषय एवं वाणिज्य संकाय के छात्र योजना मंच के अनिवार्य सदस्य होते हैं। इसका सदस्यता शुल्क प्रवेश के साथ लिया जाता है। दोनों संकायों में अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/ छात्रा को पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है।

2 पत्रिका–

छात्रों में मौलिक लेखन प्रतिभा की अभिव्यक्ति हेतु संस्था द्वारा सृजन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

3 सांस्कृतिक / साहित्यक गतिविधियाँ–

छात्रों में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतिभा को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समितियाँ छात्र/छात्राओं के लिये समय–समय पर गतिविधियाँ आयोजित करती है।

4 महिला प्रकोष्ठ

बालिकाओं और महिलाओं में अपने अधिकारों , स्थिति एवं गरिमा के प्रति जागरुकता लाने के लिए समाज में नारी की भूमिका के विविध आयामों का अध्ययन करने हेतु यह प्रकोष्ठ विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करता है। उक्त प्रकोष्ठ में विभिन्न कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।

5 **छात्र परामर्श केन्द्र–** इस केन्द्र द्वारा छात्रों को रोजगार एवं अध्ययन संबंधी परामर्श दिया जाता है।

6 युवा विकास केन्द्र

छात्रों में व्यक्तित्व विकास एवं कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए समय–समय पर विस्तार व्याख्यानों का आयोजन युवा विकास केन्द्र द्वारा किया जाता है।

समन्वयक – डॉ. कमलेश कुमार सारसर

छात्रों को देय सुविधाएँ

छात्राकक्ष– छात्राओं की सुविधा के लिए छात्रा कक्ष की व्यवस्था है।

निजी वाहन स्टैण्ड –

महाविद्यालय में छात्रों के निजी वाहन रखने हेतु स्टैण्ड की व्यवस्था की गई है। छात्र/छात्रा अपना वाहन स्टैण्ड पर खड़ा करें एवं टोकन प्राप्त करें।

परिवहन रेलवे कन्सेशन व पथ परिवहन रियायत–

केवल दशहरा, शीत व ग्रीष्मावकाश मे ही रेलवे अथवा बस द्वारा कालेज से घर जाने तथा वापस आने के लिए रेलवे कन्सेशन मिलता है। इस संदर्भ में घर से तात्पर्य उस स्थान से है जो छात्र ने अपने प्रवेश फार्म मे लिखा है।

राशन कार्ड

अगर किसी का निवास रेलवे स्टेशन वाले नगर में नहीं है तो उक्त स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन तक कन्सेशन मिल सकेगा। प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय कार्यालय में दे देना चाहिए।

नोट– कन्सेशन के साथ परिचय–पत्र अवश्य होना चाहिए।छात्र को नियमानुसार प्राप्त होने वाली रोडवेज बस के कन्सेशन के लिए निर्धारित प्रपत्र भर कर प्राचार्य के हस्ताक्षर करवाने के उपरान्त अपने ही स्तर पर रोडवेज कार्यालय में जमा करवाना होगा।

छात्रवृत्तियाँ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृत्तियॉ –

(अ) मैट्रिकोत्तर–छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/जनजाति

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग (देवनारायण योजना) के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है।

1 पात्रता

(क) केवल वे ही छात्र जो राजस्थान के अनु. जाति, अनु जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित हों।

(ख) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय मे अध्ययन करने वाले , जैसे बी. ए. के बाद बी.कॉम करने वाले या एम.ए करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए करने वाले , इसके पात्र नहीं होंगे।

(ग) नियोजित छात्र जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

(घ) एक ही /पिता अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

(ङ) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो।

(च) अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए देय नहीं।

2 आय जॉच–

SC, ST, MBC के छात्र/छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख तक होने तथा OBC के छात्र/छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख तक होने पर छात्रवृति का भुगतान देय होगा । (यह आय सीमा आगामी आदेश तक लागू है।)

3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्देशानुसार छात्र द्वारा संस्था को प्रदत्त फीस /परीक्षा फीस का भुगतान किया जावेगा।

4 नवीनीकरण– अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी।

5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने व संस्था द्वारा जॉच के उपरान्त छात्रवृत्ति का भुगतान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा।

6 आवेदन :–छात्रवृत्ति के लिए आवेदन–पत्र ऑन लाइन निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। दस्तावेजो की सूची ऑन लाईन फार्म पर अंकित है।

आयुक्त कालेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

क्र	छात्रवृत्ति	पात्रता	आय सीमा	आय सीमा पद प्रतिमाह	
				छात्रावास	अछात्रावास
1	2	3	4	5	6
1	आवश्यकात एवं योग्यता छात्रवृत्ति	राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सैकेण्डरी/सीनियर/उपाध्याय या किसी महाविद्यालय में स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंको से उर्त्तीण की हो । नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता–पिता की कुल आय वार्षिक 20 हजार से अधिक न हो	120 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)
2	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या विश्वविद्यालय मे योग्यता सूची मे आने पर तथा अन्य छात्रवृत्ति धारक ने होने पर नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर ।	माता–पिता की कुल आय 25 हजार रुपये से अधिक न हो (स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु आय सीमा नहीं)	100 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)
3	अध्यापको के बच्चो को देय राष्ट्रीय छात्रवृति	सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से उत्तीर्ण एवं निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेरद्वारा चयनित नवीनीकरण 50 प्रतिशत	मता–पिता की कुल वार्षिक आय 25 हजार से अध्किा न हो।	100 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)

		प्राप्तांक पर ।			
4	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	सीनियर सैकण्डरी अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो।	अभिभावकों की वार्षिक आय 1. 00 लाख तक	100 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)
5	स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों एवं पोतों/पोतियों को अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ।	नियमानुसार	100	60
6	मृतक राज्य कर्मचारी के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृत कर्मचारीके उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए।	कोई आय सीमा नहीं।	– –	50 स्नातक स्तर 75 स्नातकोत्तर स्तर
7	उर्दू छात्रवृति	स्नातक स्तर पर राजस्थान के मूल निवासी छात्राओं को 50 प्रतिशत अंको के साथ महाविद्यालय में उर्दू ऐच्छिक विषय लेकर पढ़ने पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण छात्रा को उर्दू विषय लेकर पढ़ने पर ।	कोई आय सीमा नहीं ।	– –	100 स्नातक स्तर 150 स्नातकोत्तर स्तर
8	भारत, पाक एवं चीन युद्ध एवं मृत सैनिको के बच्चों / विधवाओं की छात्रवृत्ति	इस युद्ध में मृतक या अपंग सैनिको के बच्चों एवं विधवाओं को जो महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत हैं।	नियमानुसार	100	60
9.	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय महिला छात्रवृत्ति	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर।	आयकरदाता नही हों।	–	150

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना–

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह नवीन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वरीयता के आधार पर छात्रवृत्ति दिये जाने की घोषणा वर्ष 2012–13 में बजट में की थी। इसी की अनुपालना में इस छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। यह छात्रवृत्ति सीनियर सैकण्डरी में उत्तीर्ण एवं कालेज में प्रवेशित एक लाख छात्र–छात्राओं को वरीयता के आधार पर प्रदान की जाती है।

पात्रता–

1 छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
2 महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो।
3 सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उर्त्तीण की हो।
4 अभिभावक / संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।
5 छात्र अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं कर रहा हो।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की पालनार्थ, राजस्थान मूल की विशेष पिछड़ा वर्ग (1) बंजारा, बालदिया, लवाना (2) गाडिया लोहार, गाडोलिया(3) गूजर, गुर्जर(4) रायका, रेबारी (देवासी) की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक अंक लाने व राजकीय महाविद्यालयों मे डिग्री प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रतिशत वरीयता के आधार पर प्रथम 1000 छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जायेगी।

पात्रता की शर्तें–

1 छात्रा राजस्थान की मूल निवासी एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाड़ोलिया गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी, देवासी)।
2 अभिभावक व संरक्षक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक न हो।
3 महाविद्यालय में डिग्री प्रथम वर्ष की नियमित विद्यार्थी हो।

4 सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त हो।

इसी प्रकार विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओं के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत रहकर डिग्री प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाली और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को क्रमशः 10,000/– व 20,000/– प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

नोटः– सभी छात्रवृत्ति संबंधी निर्देश एवं आवेदन पत्र निदेशालय कालेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाऍ वेबसाइट पर देंखे।

मेधावी स्कूटी योजना

राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2015 से लागू की गई है। राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12 वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन किया हो एवं महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हो तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक प्राप्त किये हों। छात्रा राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो। स्कूटी वरीयता अनुसार 1650 (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। अनुसूचित जनजाति व विशेष पिछडा वर्ग की छात्राऐं इस योजना में पात्र नही है। आयकरदाता नही होना चाहिए।